कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/सी)/2018 दिनांक : अगस्त २१, 201

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
सेन्ट जेवियर हाईस्कूल, लेढूपुर (पावर हाउस के पीछे),
गाजीपुर रोड, आशापुर, थाना सारनाथ, वाराणसी।

विषयः **सेन्ट जेवियर हाईस्कूल, लेढूपुर (पावर हाउस के पीछे), गाजीपुर रोड, आशापुर** थाना सारनाथ, वाराणसी (पंजीकरण संख्या–2130898) भवन में अधिष्ठापित जीव रक्ष प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

——

सन्दर्भ : आपका पत्र दिनांक : 22.07.2019

——

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन सेन्ट जेवियर हाईस्कूल, लेढूपुर (पावर हाउस के पीछे), गाजीपुर रोड़, आशापुर, थाना सारनाथ, वाराणसी (पंजीकरण संख्या–2130898) का स्थलीय निरीक्षण करवाया गया, विवरण निम्नवत है:–

A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः–भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय भवन ग्रुप बी–1 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1. स्वामी/प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र दिनांक : 21.08.2019 के अनुसार उपरोक्त भवन भूतल + प्रथम तल + द्वितीय तल तक निर्मित है। विद्यालय भवन का प्लाट एरिया–8089.22 वर्गमीटर, कवर्ड एरिया–244.06 वर्गफिट, भवन की ऊँचाई–10.5 मीटर, भवन में एक सीढ़ी है, मेन गेट की चौड़ाई–4.5 मीटर, मेन रोड की चौड़ाई–8.0 मीटर है। विद्यालय भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 12 अदद उपलब्ध है। उपरोक्त भवन में एन0बी0सी0 2016 के मानकों के अनुसार होजरील प्रणाली, टैरेस टैंक 10000 (दस हजार) लीटर व टैरेस पम्प 450 एल0पी0एम0 क्षमता का 02 माह में स्थापित करा लेगा। उपरोक्त भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जायेगा।
2. पहुँच मार्गः–उक्त विद्यालय भवन 8.0 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।
3. प्रवेश द्वार की चौड़ाईः–उक्त भवन में प्रवेश हेतु 4.5 मीटर चौड़ाई का प्रवेश द्वार बनाया गया है।
4. अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 12 अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या–वी 070142 के द्वारा दिनांक 21.08.2019 को रूपया 120/– राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।
5. पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में की गयी है।

B. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है किः–**

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।

3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय—समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। सम्बन्धित अधिकारी एवं अभियंता इस सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेंगें नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते हे तो इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

C. **उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगाः—**

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 1528/9—6—2008 दिनांकः 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्याः 1765/छः—पु0—8—2017—905 (34)/2016 गृह (पुलिस) अनुभाग—8 लखनऊ : दिनांकः 16 फरवरी 2018 के अनुसार कार्यवाही वांछनीय होगा।
4. नेशल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा न किया जाय।
5. उपरोक्त शर्तो का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।
6. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार **सेन्ट जेवियर हाईस्कूल, लेढ़ूपुर** (पावर हाउस के पीछे), **गाजीपुर रोड़, आशापुर, थाना सारनाथ, वाराणसी** (पंजीकरण संख्या—2130898) विद्यालय भवन में शपथ पत्र दिनांकः 21.08.2019 में उल्लिखित शर्तो का समयबद्ध पालन करने एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग सें निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन उपककरणों की क्रियाशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक वैध होगा।

उपरोक्त दिये गये शर्तो का पालन न किये जाने तथा सुरक्षा व्यवस्था के अकार्यशील दशा में पाये जाने पर, निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपिः—अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।